

कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०

पत्रांक :

अधिसूचना

दिनांक :

दिनांक 23.06.2026 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक दिनांक 29 जून, 2026 के बिन्दु संख्या-06 में लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में चल रहे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन से ई०पी०एफ० की कटौती के उपरान्त नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:-

1. Contribution by employer on employee wages exceeding Rs. 15,000/- is purely voluntary and not mandatory. No EPF to be deposited for employees whose UAN number is not generated and wages exceeding Rs 15,000/-
2. The maximum legal obligation of the employer is limited to Rs. 1,800/-per month for employees whose UAN number is generated and EPF deposition need not be stopped.
3. Generation of new UAN number for employees wages exceeding Rs. 15,000/- to be stopped. Refund of EPF deducted from employee wages whose UAN number is not generated.
4. Lucknow University EPF registration dated 04.04.2023 and there after UAN generated for contractual employees. Refund in the name of EPF deduction prior to UAN generation date to be done.

प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गयी एवं उपरोक्त बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन से उपरोक्त के क्रम में नियमानुसार EPF की कटौती एवं वापसी किये जाने पर सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उपरोक्त निर्णय वर्तमान में कार्यरत स्ववित्तपोषित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर ही लागू होगा, भविष्य में नियोजित/पुर्ननियुक्त कार्मिकों जिनका वेतन रू० 15,000/- प्रति माह से ऊपर होगा उनकी EPF की कटौती नहीं की जाएगी।

दिनांक 27.07.2026 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक के विनिश्चय संख्या-2026/10/14 में वित्त समिति द्वारा उपरोक्त लिए गये निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या-R/970/26

दिनांक-11/08/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी, ल०वि०।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल०वि०।
4. वित्त अधिकारी, ल०वि०।
5. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०।
6. निदेशक, आई०पी०पी०आर०, ल०वि०।
7. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, ल०वि०।
8. ईंचार्ज वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड तथा समस्त को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
9. कार्यालय प्रति।

Bmista
कुलसचिव